रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 478] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 21, 1994/कार्तिक 30, 1916
No. 478] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 21, 1994/KARTIKA 30, 1916

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1994

सं. 141/94—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 819 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 297/79-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 24 नवम्बर, 1979 में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

1	2
"7.	एक्रीलिक फाइबर के बुने हुए वस्त्रों पर ब्लोइंग (स्टीम प्रेसिंग) की प्रक्रिया"

[फा.सं. 356/50/94-टी.आर.यू.]

तरुण कुमार गोविल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 1994

No. 141/94-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 819(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 297/79-Central Excises, dated the 24th November, 1979, namely :—

In the Table annexed to the said notification, after Sl. No. 6 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and the entries shall be added, namely :—

(1).	(2)
"7.	The process of blowing (steam pressing) carried on woven fabrics of acrylic fibre"

[F. No. 356/50/94-TRU]

TARUN KUMAR GOVIL, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994